

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 5657/2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा।

:: आदेश ::

10.01.2018

नोटिस जारी हो। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

अभिलेख तलब किया जावे। अभिलेख तलबी के पत्र में यह तथ्य अंकित किया जावे कि यदि क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के क्रम में कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हो तो प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए अभिलेख प्रेषित करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—